कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती मधु उपाध्याय, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ताखा, कुम्हेर जिला भरतपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिसारणिया जिला बाड़मेर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती मधु उपाध्याय द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी. सिविल याचिका सख्या 20588/2019 मधु उपाध्याय बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 20588/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.12.2019 द्वारा याचिकार्थी श्रीमती मधु उपाध्याय को राउमावि ताखा, कुम्हेर, भरतपुर में ही कार्यरत रखे जाने के निर्देशों के साथ–साथ प्रत्यर्थी विभाग को याचिकार्थी अथवा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 श्री ओमप्रकाश को भरतपुर जिले में ही उनके विकल्प के आधार पर पदस्थापित किये जाने की स्वतन्त्रता प्रदान करते हुए उक्त के सम्बन्ध में 10 दिवस के भीतर आदेश जारी करने हेतु निर्देशित किया गया।

याचिकार्थी श्रीमती मधु उपाध्याय द्वारा दिनांकः 02.03.2020 को विभाग के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर स्वयं को राउमावि महलौनी, बयाना/राउमावि बिनुआ, रूपवास/राउमावि मुरवारा, सेवर/राउमावि धौरमुई, सेवर अथवा एसीबीईओ–प्रथम बयाना जिला भरतपुर में प्रधानाचार्य अथवा समकक्ष के किसी रिक्त पद पर पदस्थापित किये जाने की मांग की गई।

याचिका संख्या 20588/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में एव श्रीमती मधु उपाध्याय, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य–राउमावि बिसारणिया जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के आधार पर उनका समायोजन/पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिनुआ, रूपवास जिला भरतपुर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता है। श्रीमती मधु उपाध्याय, प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल आदेश की पालना सुनिश्चित करें।

(सौरभ स्वामी)
आई ए एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/20588/मधु उपाध्याय/380/2019 दिनांकः 04.03.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर/जोधपुर संभाग, भरतपुर/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भरतपुर/बाड़मेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, भरतपुर/बाड़मेर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्रीमती मधु उपाध्याय, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)